न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 125/2024

राकेश कुमार शर्मा उम्र 28 साल पुत्र केदारमल जाति ब्राहम्ण नि0 वा0नं0 9 स्वर्ण मौहल्ला पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

प्रार्थी,

बनाम

1. केदारमल पुत्र चौथमल।
2. रामदीन पुत्र चौथमल।
3. चौथमल पुत्र टीकूराम।
   समस्त जाति ब्राहम्णनि0 वा0नं0 9 स्वर्ण मौहल्ला पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश स्वामी, वकील प्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आरटीएक्ट

:: निर्णय :: दिनांक :: 09.12..2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व0 बेगराज के वारिसान है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान मद सं0 2 अनुसार है। राज0 काश्त0 अधिनियम लागू हुआ उसके 2 साल बाद बेगराज की मृत्यु होने के कारण बेगराज के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमि पुराने ख0नं0 700, 660 व 696 वाके ग्राम पलसाना में अवस्थित थी, जिसकी खातेदारी बेगराज के बडे पुत्र कन्नीराम को अपने पिता के साथ कब्जे काश्त में होने के कारण उक्त भूमियों खातेदारी में दर्ज हो गयी तथा पुराने ख0नं0 1089 वाके ग्राम पलसान प्रार्थी के पडदादा टीकुराम उप कृषक के रूप में व उसका कब्जा काश्त होने के कारण उसको खातेदारी में प्राप्त हो गयी तथा कन्नीराम नाऔलाद अविवाहित फौज हो जाने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमियां पुराने ख0नं0 700, 660 व 695 टीकुराम को प्राप्त हुई । इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने ख0नं0 700, 660, 695 व 1089 वाके ग्राम पलसाना काप्रार्थी का पडदादा स्व0 टीकुराम खातेदार काश्तकार हो गया जिसका इन्द्राज प्रथम पैमाईश के दौरान बनी जमाबंदी संवत् 2017–2020 से दर्शित है। प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियों का अपने पडदादा टीकुराम पुत्र बेगराज की मृत्यु होने पर विरासतन ना0क0सं0 20 दिनांक 30.01.1996 तस्दीक किया गया , जिससे प्रश्नगत कृषि भूमियां पैमाईश के दौरान

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

नये ख0नं0 4157, 4318, 4342, 3031, 3032, 3033/4800, 3960, 3961, 3962, 3063, 3964, 4063 में हिस्सा 1/4 वाके ग्राम पलसाना कायम हुये, जिस पर प्रार्थी के दादा चौथमल के नाम से खातेदारी प्राप्त हुई तथा वह हिन्दू संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण उसके अकेले के नाम खातेदारी अंकित हो गई, जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2051–2054 में अकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां का प्रार्थी के दादा चौथमल ने अन्य खातेदारों से आपसी सहमति से भूमियों का विभाजन कर लिया गया तथा कब्जे काश्त के मुताबिक भूमियां का बाई मिट्स एंड बाउण्डस होकर पृथक–पृथक दर्ज हो गयी तथा भूमियां नये राजस्व ग्राम सृर्जित हो जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमियां अधिगृहित हो जाने के बाद व अप्रार्थी सं0 2 रामदीन के द्वारा प्रार्थी के दादा चौथमल अप्रार्थी सं0 3 को अपने दवाब व प्रभाव में लेकर पुश्तैनी कृषि भूमियों में रकबा 0.2760 है0 भूमि क्रमशः प्रभूदयाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत व जडाव देवी पत्नी मूलचंद को बेचान कर दी व प्राप्त धनराशि को अपने स्वंय के व्यक्तिश उपयोग में यह कहते हुए काम में लिया गया कि भविष्य में भूमियों का बंटवारा होगा तब 0.2760 है0 भूमि उसे बंटवारे में कर दे देना इसी शर्त पर आपसी सहमति बनी। प्रश्नगत भूमियों का विभाजन होकर व राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमियां अधिगृहित होने व अप्रार्थी सं0 2 द्वारा विक्रित हिस्सा अपनी पांती व हिस्से में भविष्य में सम्मिलित कर लिये ज़ाने के बाद प्रश्नगत भूमियां नये गांव वृजित होने के बाद प्रार्थी के दादा चौथमल की खातेदारी में मदसं0 6 की उप मद क, ख अनुसार भूमियां है। सजरा खानदान के मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमियां प्रार्थी के पूर्वज कन्नीराम व टीकुराम पुत्रगण बेगराज के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमियां थी, जिसमें प्रार्थी का पुश्तैनी हक हिस्सा अवस्थित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पूर्वज टीकुराम व कन्नीराम पुत्रगण बेगराज की खातेदारी में प्रश्नगत कृषि भूमियां रही है। इस कारण उक्त भूमियां प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियां है, जिसमें प्रार्थी का नोशनल शेयर अवस्थित चला आ रहा है। प्रार्थी के दादा चौथमल जो कि हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान थे तथा एच.यू एफ. के सदस्य थे, जिसको आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी अकेले के नाम से प्राप्त हो जाने के बावजूद भी हिन्दू परिवार के सभी सदस्य उक्त भूमियों में अपना हक हिस्सा रखते थे। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमियों में प्रार्थी का नोशनल हिस्सा अवस्थित चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में खातेदारी अकेले प्रार्थी के दादा चौथमल के नाम से अकित रहने से उसने अप्रार्थी सं0.2 के प्रभाव में आकर प्रश्नगत भूमियों को जडाव देवी व प्रभुदयाल को विकय कर दिया गया तथा शेष भूमियों की खातेदारी में अकेले का नाम अंकित रह जाने के कारण प्रश्नगत भूमियों को अप्रार्थी आपस में साज कर भूमियों को खुर्द–बुर्द करने व प्रार्थी को उसके नोशनल हिस्से में वंचित करने की कुमंशा रखते है, जिसका कि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण उन्हें ऐसा न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया कि वे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 2 स्वंय उपस्थित आए तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 2 व 3सही होने से स्वीकार है। मद सं0 4, 5 व 6 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 6.4.2005 को लिखावट ईकरारनामा चौथमल पुत्र स्व0 टीकुराम, रामदीन, केदारमल पुत्र श्री चौथमल जाति ब्राहम्ण नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ सीकर ने आपसी रजामंदी व सहमति से उनकी पारिवारिक सम्पत्ति मकान, कृषि भूमि का बंटवारा पडौसियों व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष कर लिया, इसमें चौथमल जी के दोपुत्र रामदीन ओर केदारमल है। बंटवारा की क0सं0 1 से 4 अनुसार किया गया। मद सं0 7, 8, 9, 10 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 11 कानूनी है।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज है। यह जमीन पुश्तैनी है। मैं बेगराज का वारिस हूं। चौथमल मेरा दादा है। यह जमीन उन्हीं के नाम है। सजरा खानदान के अनुसार मेरा हक हिस्सा बनता है। मेरा प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मैं इस जमीन पर काबिज हूं। अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस के दौरान अप्रार्थी सं0 2 ने निवेदन किया कि वर्ष 2005 के अंदर बधाला की ढाणी के खसरे की भूमियां विक्रय कर दी थी। 13.20 बिस्वा जमीन है। 2005 में आपसी सहमति से भूमियों का बंटवारा कर लिया था। केदार को पहले से जमीन दे रखी है। राकेश का हिस्सा केदारमल की भूमि में बनता है। प्रार्थना–पत्र में टी0आई0 जारी नहीं की जावे।

हमने बहस वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 2 की सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है कि वे प्रश्नगत कृषि भूमि ख0नं0 3031, 3032, 3033/4800, कुल किता 3 कुल रकबा 1.5000 है0 वाके ग्राम बधाला की ढाणी व कृषि भूमि ख0नं0 4157, 4990/3960, 4992/3963 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4200 है0 वाके ग्राम विजय नगर तहसील दांतारामगढ़, सीकर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जबकि अप्रार्थी सं0 2 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वर्ष 2005 के अंदर बधाला की ढाणी के खसरे की भूमियां विक्रय कर दी थी। 13.20 बिस्वा जमीन है। 2005 में आपसी सहमति से भूमियों का बंटवारा कर लिया था। केदार को पहले से जमीन दे रखी है। राकेश का हिस्सा केदारमल की भूमि में बनता है। प्रार्थना–पत्र में टी0आई0 जारी नहीं की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर(पु.)सीकर

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन चल रहा है। बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर वाद में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 147/2024 उनवानी राकेश कुमार बनाम केदारमल वगैरह के निस्तारण तक प्रश्नगत कृषि भूमि ख0नं0 3031, 3032, 3033/4800, कुल किता 3 कुल रकबा 1.5000 है0 वाके ग्राम बधाला की ढाणी व कृषि भूमि ख0नं0 4157, 4990/3960, 4992/3963 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4200 है0 वाके ग्राम विजय नगर तहसील दांतारामगढ़, सीकर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर

निर्णय आज दिनांक 09.12.25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर
सहायक कलक्टर (मु.)सीकर